<u>न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश क्रम-4 कोटा (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारी बीना गुप्ता, R.J.S. (DJ Cadre)
आप.विविध(जमानत आवेदन) संख्या 1256/2026

फिरोज पठान उर्फ फिरोज उर्फ भोंदू पुत्र जलील पठान, उम्र 34 साल, निवासी 74 आमिर पठान के मकान के पास, वार्ड नंबर-9 अनन्तपुरा कोटा हाल हनुमान मंदिर के पास अनन्तपुरा कोटा

प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य अप्रार्थी

अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एफआईआर नंबर 192/2026 पी.एस. अनन्तपुरा कोटा अंतर्गत धारा 447 भारतीय दंड संहिता व धारा 33 राजस्थान वन अधिनियम 1953

उपस्थित -
श्री हरीश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त
अपर लोक अभियोजक-राज्य की ओर से

: : आदेश : : दिनांक : 05-06-2026

प्रार्थी/अभियुक्त फिरोज पठान उर्फ फिरोज उर्फ भोंदू की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 श्रीमान सैशन न्यायाधीश कोटा के समक्ष पेश किया गया, जो विधिवत सुनवाई व निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त हुआ। प्रार्थनापत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई एवं केसडायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से कथन किया है कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। उसके उपर लगाये गये आरोपों से उसका कोई लेना देना नहीं है। परिवादी पक्ष द्वारा असत्य तथ्यों के आधार पर उक्त उनवानी प्रकरण दर्ज कराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त उनवानी प्रकरण में पुलिस द्वारा गिरफतार कर लिया गया तो उनकी समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी। प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने

व गवाहान को टेम्परविद किये जाने का कोई अन्देशा नहीं है। इस स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाये।

इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा केसडायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। केसडायरी के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 447, 379 भारतीय दंड संहिता व धारा 33 राजस्थान वन अधिनियम 1953 के आरोप हैं। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से इस प्रकरण में अभियुक्त से कोई विशिष्ट अनुसंधान या बरामदगी किया जाना शेष हो ऐसा तथ्यात्मक रिपोर्ट से दर्शित नहीं होता है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी दर्शित नहीं होता है कि इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने पर प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव पडेगा। ऐसी स्थिति में मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित, युक्तियुक्त व सदभावी प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त फिरोज पठान उर्फ फिरोज उर्फ भौंदू द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बाबत एफआईआर नंबर 192/2026 पी.एस. अनन्तपुरा कोटा) स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफतारी की सूरत में यदि प्रार्थी/अभियुक्त पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा के अनुसंधान अधिकारी/ थानाधिकारी के समक्ष 25-25 हजार रूपये की दो जमानतें व 50 हजार रूपये का स्वयं का मुचलका निम्न शर्तों के अधीन प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे तो प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जावे-

1- प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में पूरा सहयोग करेगा।

2- प्रार्थी/अभियुक्त बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जायेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त के पास उसका पासपोर्ट उपलब्ध है तो है अपना पासपोर्ट अनुसंधान अधिकारी अथवा न्यायालय के पास जमा करवायेगा।

3- जाँच अधिकारी जब भी प्रार्थी/अभियुक्त को तलब करेगा वह अनुसंधान में सहयोग देने हेतु उपलब्ध रहेगा ।

Authenticated Document

4- प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अनुसंधान में सहयोग न करने की स्थिति में जाँच अधिकारी उसकी अग्रिम जमानत के आवेदन को निरस्त कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस थाना को प्रेषित हो ।

(बीना गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम-4, कोटा

आदेश आज दिनांक 05-06-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम-4, कोटा

ASHA JAIN
Digitally signed by ASHA JAIN
Date: 2026.06.06 08:32:51 +0530